

राजस्थान सरकार
वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग

क्रमांक: एफ.5(थ-75)डीटीए/IFMS 3.0/PRI Salary/ 2729-32 दिनांक 28/7/2025

1. सचिव
पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग
जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम – जयपुर ग्रेटर/हैरिटेज, जोधपुर-साऊथ/नोर्थ
कोटा-साऊथ/नोर्थ, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर एवं भरतपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद – जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर एवं भरतपुर।
4. रजिस्ट्रार
विश्वविद्यालय – जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर एवं भरतपुर
जिले में स्थित।

विषय:— पी.डी. खातों के माध्यम से वेतन भुगतान की प्रक्रिया को
IFMS 3.0 से प्रारम्भ किए जाने बाबत प्रशिक्षण।

संदर्भ:— वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग का परिपत्र क्रमांक 2636 दिनांक
22.07.2025

महोदय,

विषयान्तर्गत वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र द्वारा वर्तमान में पीआरआई
पे-मैनेजर के माध्यम से पी.डी. खातों से भुगतान किए जा रहे वेतन की प्रक्रिया को
आई.एफ.एम.एस. 3.0 के माध्यम से किए जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गये
हैं। उक्त प्रक्रिया को लागू किए जाने हेतु दिनांक 30.07.2025 को प्रातः 10.30 बजे से
1.30 बजे COERRA Bhawan (6th Floor), अरण्य भवन के सामने, झालाना औद्योगिक क्षेत्र,
जयपुर में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

उक्त प्रशिक्षण में आपके विभाग/कार्यालय में कार्यरत वित्तीय सलाहकार/
लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी तथा पी.डी. खाताधारक के प्रतिनिधि अधिकारी को
उपस्थित होने हेतु निर्देशित किए जाने का अनुरोध है।

भवदीय



(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

ए-ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर

Website - dta.rajasthan.gov.in

e-mail Id- Jdb-ta-rj@nic.in

Fax - 2742309, Tel- 0141-2743752

क्रमांक: एफ.5(थ-75)डीटीए / IFMS 3.0/PRI Salary/ 2733-36 दिनांक 28/7/2025
प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पब्लिक फाईनेन्शियल मैनेजमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग इन्सटीट्यूट जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी संबंधित विभाग/कार्यालय।
3. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर सैल) विभाग, वित्त विभाग, सचिवालय जयपुर को साइट पर अपलोड किए जाने हेतु।
4. PWC/Oralce टीम को प्रशिक्षण दिये जाने बाबत।



अतिरिक्त निदेशक एवं पदेन
परियोजना निदेशक (IFMS)